अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 112/2012

गणेश राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदाधिकारी, मढौरा)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
10.06.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा, के आदेश ज्ञापांक 2441/, दिनांक 09.08.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.12 को जिला स्तरीय जांच दल सं0 19 श्री अरविंद कुमार, जिला मध्यान भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी सारण के द्वारा गणेश राम ज0वि0प्र0वि अनुज्ञप्ति सं0 60/07 पंचायत-लौवा, वार्ड-13 प्रखंड-इसुआपुर की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई। 1. लाभुको की सूची प्रदर्शित नहीं। 2. संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। 3. पंजी अनुमंडल में जमा करना। 4. निरीक्षण/शिकायत पुस्तिका संधारण। 5. कैशमेमो नही देना। 6. वजन एवं माप का सत्यापन नहीं कराना। 7. उठाव की सूचना निगरानी/ अनुश्रवण समिति को नहीं देना तथा इसके समक्ष वितरण नहीं करना। 8. प्रति लीटर 17 रूपये तेल देना। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, के ज्ञापांक 512 दिनांक 19.03.12 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया, जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।	

विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उपभोक्ताओं की सूची विक्रेता को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इसुआपुर के द्वारा 19.03.12 को उपलब्ध करायी गयी। इस वजह से विक्रेता के द्वारा जांच की तिथि 10.01.12 को उपभोक्ताओं की सूची प्रदर्शित नहीं थी। विक्रेता के द्वारा उठाव किये गए सम्पूर्ण खाद्यान्न का वितरण उपभोक्ताओं की बीच कर दिया गया था जिसके कारण संयुक्त नमूना शेष नहीं था। विक्रेता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी से प्राप्त निर्देश के आलोक में दूकान से संबंधित सभी पंजी एवं कागजात अनुमंडल कार्यालय में जमा कर दिया गया था, इसलिए जांच की तिथि को विक्रेता के द्वारा इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ अनुमंडल कार्यालय में जमा कराए गए कागजातो की प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। वर्षा में छत से पानी गिरने की वजह से कैशमेमो नष्ट हो गया था एवं नये कैशमेमो की छपाई हेतु प्रेस में कार्य चल रहा था। इसलिए जांच की तिथि को कैशमेमो जांच दल को नही दिखाया जा सका। दिनांक 18.01.12 को विक्रेता के द्वारा माप तौल उपकरण का सत्यापन करा लिया गया है, जिसकी प्रति विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता के द्वारा राशन एवं किरासन तेल का उठाव तथा वितरण की सूचना प्रत्येक माह नियमित रूप से निगरानी समिति को दिया जाता है, जिसकी पुष्टि निगरानी समिति के अध्यक्ष स्थानीय मुखिया के द्वारा लिखित रूप से की गई है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2441/, दिनांक 09.08.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक अस्वीकृत कर देना उचित नही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी को अपने आदेश में विक्रेता से प्राप्त जवाब में अंकित

बिन्दुओं के प्रसंग में बिन्दुवार आपत्ति अंकित करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। जांच पदाधिकारी के द्वारा अपनी निरीक्षण टिप्पणी के साथ जिस उपभोक्ता के बयान को संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है, उसके द्वारा भी विक्रेता के पक्ष में बयान अंकित किया गया है एवं विक्रेता के द्वारा प्रत्येक माह में अनाज एवं तेल देने एवं वितरण संतोषजनक होने का बयान दिया गया है। अतः विक्रेता से प्राप्त बिन्दुवार जवाब एवं संलग्न कागजातों के परिसीलन से प्रतीत होता हैं कि अनुज्ञापन पदाधिकारी का प्रश्नगत आदेश त्रुटिपुर्ण है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन 05.09.12 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 394 /दिनांक 10/6/15/

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7 ई0सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।